



वायुदूत लिमिटेड





विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
1. निदेशक - मंडल	1
2. निदेशकों की रिपोर्ट	2
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	4
4. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	5
5. लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर निदेशकों के उत्तर	10
6. 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र	11
7. 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा	12
8. वार्षिक लेखों के भाग निर्मित करने वाली अनुसूचियां	13



निदेशक-मंडल (24.12.2010 के अनुसार)

श्री अरविन्द जाधव

अध्यक्ष

श्री एस. चन्द्रशेखर

श्री विपिन के. शर्मा

श्री एल. राज शेखर रेड्डी

श्री सईद नासिर अली

लेखापरीक्षक

मैसर्स एवीके एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
317, तीसरा तल, एक्सप्रेस आरकेड,
एच-10, नेताजी सुभाष प्लेस,
पीतमपुरा,
दिल्ली-110 034.

पंजीकृत कार्यालय

सफदरजंग एयरपोर्ट
नई दिल्ली.



निदेशकों की रिपोर्ट

आपकी कंपनी के निदेशक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए 29वीं रिपोर्ट, कंपनी के परीक्षित लेखा विवरण सहित सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

कंपनी का इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड (वर्तमान में नैसिल) के साथ विलय

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 25 मई 1993 के पत्र द्वारा कंपनी को पूर्व इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, जो अब 27 अगस्त, 2007 से नैसिल में विलयित हो गयी है, के साथ विलय करने के निर्णय की सूचना दी गई है। परिणामस्वरूप, कंपनी की समूची शेयरहोल्डिंग, इंडियन एयरलाइन्स लि. (वर्तमान में नैसिल) द्वारा रखी जा रही है। अतः यह कंपनी नैसिल के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई विमान प्रचालन नहीं किया क्योंकि कंपनी के प्रचालन नैसिल को हस्तांतरित कर दिए गए थे। वर्तमान में विलय से संबंधित कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने तक यह कंपनी एक "शैल" कंपनी है।

1. वित्तीय परिणाम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कोई विमान प्रचालन अथवा अन्य कोई व्यवसायिक कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी ने प्रचालन से कोई राजस्व अर्जित नहीं किया। वर्ष के दौरान कुल 4.23 लाख रुपए का खर्च, मूल्यहास तथा लेखा परीक्षा, शुल्क इत्यादि के लिए हुआ। वर्ष में 4.23 लाख रुपए (गत वर्ष 8.44 लाख रुपए) की कुल हानि हुई।

2. विमान बेड़े

वर्ष के आरंभ में विमान बेड़े में कुल दो डोर्नियर डीओ-228 विमान उपलब्ध थे। इन दो विमानों का नैसिल द्वारा अनुरक्षण एवं प्रचालन किया जा रहा था। नैसिल बोर्ड ने 3 अगस्त, 2008 को आयोजित अपनी चौदहवीं बैठक में इन विमानों को फेज आउट करने हेतु अनुमोदन दे दिया है। नैसिल ने इन विमानों के निपटान के लिए टैंडर निकाला व इन विमानों को बेच दिया गया है।

3. पूंजीगत ढांचा

31 मार्च, 2010 को कंपनी की जारी की गई, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी, पिछले वर्ष की 36.42 करोड़ रुपए जितनी ही थी जिसमें नैसिल (अब एअर इंडिया लि.) द्वारा रखे गए 1000/- रुपए प्रति शेयर की दर के 3,64,200 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर हैं। वर्ष 1993-94 से कंपनी के पूंजीगत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

4. मानवशक्ति

विलय के निर्णय के परिणामस्वरूप, कंपनी के कर्मचारियों को नैसिल (अब एअर इंडिया लि.) में आमेिलित कर लिया गया। 31.03.2010 को कंपनी की कुल मानवशक्ति, 31.03.2009 की शून्य मानवशक्ति की तुलना में शून्य ही थी।

5. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के साथ पठित कंपनी नियम, 1975 (कर्मचारियों का विवरण) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना के संबंध में कर्मचारियों का विवरण शून्य है।

6. निदेशकों की दायित्व रिपोर्ट

आपके निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि :-

- 31 मार्च, 2010 को समाप्त अवधि के लिए लेखे तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया था तथा इसमें बहुत अंतर नहीं है। तथापि वर्षों से प्रचलित लेखांकन नीतियों के अनुसार, वारंटी दावे, उगाहने योग्य ब्याज तथा उपदान भुगतान, यदि कोई है, का हिसाब वास्तविक रसीदों/भुगतान के आधार पर किया गया है,
- चुनी गई लेखांकन नीतियां युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं तथा वर्ष के अंत में कंपनी की कार्यविधियों एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि का सही एवं निष्पक्ष विवरण दिया गया है तथा इन नीतियों को दृढ़ता से लागू किया गया है,
- कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने एवं घोखाघड़ी व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसरण में उचित लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई है,
- कंपनी को पूर्व नैसिल (अब एअर इंडिया लि.) में विलयित, के साथ विलय करने के संबंध में मई 1993 में भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, अप्रैल, 1997 से कंपनी कोई भी व्यवसायिक कार्रवाई नहीं कर रही है तथा विलय से संबंधित कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए ही यह लेखे तैयार किए जा रहे हैं। कंपनी की देयताओं पर भारत सरकार के विलम्बन निर्णयों के अनुसार इसकी देयताओं को रोक दिया गया है। इसके दृष्टिगत कंपनी की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया तथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त अवधि के लिए लेखे तदनुसार तैयार किए गए हैं।

7. लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 1995 की धारा 292(क) के अनुसरण में गठित तथा कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 के माध्यम से संशोधित वर्तमान लेखा परीक्षा समिति में कंपनी के तीन निदेशक, श्री एस. चन्द्रशेखर, श्री सईद नासिर अली तथा श्री राज शेखर रेड्डी लक्काडी, हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान 29 सितम्बर, 2010 को समिति की एक बैठक की गई।



8. लेखों की लेखा-परीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स एवीके एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट को वर्ष 2009-10 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

9. सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर

निदेशक मंडल ने दिनांक 29 सितम्बर, 2010 की रिपोर्ट में दी गई लेखा परीक्षकों की टिप्पणी को नोट कर लिया है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर निदेशकों का उत्तर अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

10. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के सम्मुख उनकी टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत किया गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने दिनांक 19 नवम्बर, 2010 के अपने पत्र संख्या जीए/आईए/एनआर/2010-11/443 के माध्यम से सूचित किया है कि उन्होंने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वायुदूत लिमिटेड के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है एवं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत कोई टिप्पणी नहीं की।

11. निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठके हुई। निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

- | | |
|---|---------|
| 1. श्री अरविन्द जाधव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
नैसिल (अब एअर इंडिया लि.) | अध्यक्ष |
| 2. श्री एस. चन्द्रशेखर
निदेशक (वित्त), नैसिल (अब एअर इंडिया लि.) | निदेशक |
| 3. श्री विपिन के. शर्मा
एसबीयू प्रमुख एमआरओ (इंजन एवं कम्पोनेंट),
नैसिल (अब एअर इंडिया लि.) | निदेशक |
| 4. श्री राज शेखर रेड्डी लक्काडी
निदेशक (वित्त), नागर विमानन मंत्रालय | निदेशक |
| 5. श्री सईद नासिर अली
निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय | निदेशक |

नागर विमानन मंत्रालय ने अपने दिनांक 11 जून 2008 के पत्र संदर्भ संख्या : एवी18013/04/2007-आई.ए. के माध्यम से निदेशक मंडल का पुनर्गठन निम्नानुसार किया है :

- | | |
|---|---------|
| 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लि. (नैसिल)
(अब एअर इंडिया लि.) | अध्यक्ष |
| 2. निदेशक (वित्त), नैसिल (अब एअर इंडिया लि.) | निदेशक |
| 3. एसबीयू प्रमुख एमआरओ (इंजन एवं कम्पोनेंट), नैसिल
(अब एअर इंडिया लि.) | निदेशक |
| 4. निदेशक (वित्त), नागर विमानन मंत्रालय | निदेशक |
| 5. निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय | निदेशक |

12. धन्यवाद प्रस्ताव

निदेशक मंडल सुश्री आभा शुक्ला द्वारा दी गई बहुमूल्य सेवाओं एवं उनके सहयोग/मार्गदर्शन की सराहना करता है।

निदेशक मंडल वास्तविक रूप में नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निगमित कार्य विभाग तथा अन्य सरकारी विभागों, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एयरलाइन्स एलाइड सर्विसेस तथा अन्य एजेंसियों द्वारा दी गई सहायता तथा सतत सहयोग की सराहना करता है।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 दिसम्बर 2010



वायुदूत लिमिटेड के 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां.

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित वित्तीय विवरण ढांचे के अनुसरण में 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वायुदूत लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधवर्ग का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक अपनी व्यावसायिक संस्था द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं प्रत्याभूति मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है। दिनांक 29 अक्टूबर, 2010 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से यह किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वायुदूत लिमिटेड के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-

इला सिंह

प्रधान निदेशक - वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पट्टेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-I, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19 नवम्बर 2010



वायुदूत लि. के सदस्यों के समक्ष लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2010 तक की अवधि के लिए मैसर्स वायुदूत लिमिटेड के संलग्न तुलन-पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करने तक सीमित है।

हमने अपना लेखा परीक्षण सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखा परीक्षा के मानकों के आधार पर किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना एवं उसका निष्पादन यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरण वास्तविक विवरणों पर आधारित हैं। लेखा परीक्षण में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशि तथा इनकी पुष्टि करने वाले दस्तावेजों की जांच सम्मिलित है। लेखा परीक्षा में उपयोग किए जाने वाले सिद्धांतों तथा प्रबंध वर्ग द्वारा बनाए गए सार्थक आंकड़ों के मूल्यांकन के अलावा संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारे मत को उचित आधार प्रदान करती है।

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4 ए) की शर्तों के अंतर्गत "कंपनियों के लिए (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2003 यथा संशोधित" की अपेक्षाओं के अनुरूप तथा समुचित समझी गई जांच के आधार पर, उक्त आदेश के पैरा 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।
2. उक्त पैरा 1 में संदर्भित अनुलग्नक में की गई हमारी टिप्पणियों के आगे हम सूचित करते हैं कि :
 - क. हमने वे सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।
 - ख. हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं जैसाकि हमारे द्वारा खाता बहियों की जांच से प्रतीत होता है।
 - ग. रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाता, लेखा बहियों के अनुरूप है।
 - घ. हमारी राय में रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाता कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3-सी) में दिए गए कुछ लेखा मानकों के अनुरूप नहीं है जिनका उल्लेख आगे संबंधित पैराग्राफों में किया गया है।
 - ङ. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिनांक 21.10.2003 की राजपत्रित अधिसूचना सं. जीएसआर 829(ई) में दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार सरकारी कंपनियों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (छ) के प्रावधान लागू नहीं होते।
 - च. हमारी राय एवं सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत :
 - i. अनुसूची 10 में वर्णित लेखा नीति 7 के अनुसार जो वारंटी दावों तथा वसूली योग्य ब्याज से संबंधित है, के प्रभाव को निश्चित नहीं किया गया है (लेखा मानक 9 का अनुपालन नहीं)
 - ii. निपटान के लिए रखी गई स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन बुक वैल्यू के आधार पर किया गया है जबकि इनका मूल्यांकन प्राप्त करने योग्य वैल्यू से कमतर या प्राप्त करने योग्य वैल्यू निश्चय न होने की स्थिति में बुक वैल्यू के आधार पर होना अपेक्षित है (लेखा मानक-10 का अनुपालन नहीं)
 - iii. नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स लि. के साथ वायुदूत लि. के विलय की योजना के संबंध में दिनांक 17 जनवरी, 2005 की अधिसूचना सं. एवी 18030/3/97-एसीआईए (खंड IV) तथा दिनांक 21 फरवरी, 2005 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया। इन अधिसूचनाओं के अनुसरण में मैसर्स इंडियन एयरलाइन्स लि. को 1383075560/-रु. की एक योजना रहित बजटीय सहायता प्रदान की गई ताकि इंडियन एयरलाइन्स कुछ देयों का पूर्ण तथा अंतिम निपटान कर सके जो निम्नानुसार है :

क)	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	1,14,70,00,000.00 रु.
ख)	ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन	7,88,28,767.00 रु.
ग)	तेल कंपनियों	8,99,92,000.00 रु.
घ)	बैंक	4,37,54,793.00 रु.
ङ.)	अन्य	2,35,00,000.00 रु.
	कुल	1,38,30,75,560.00 रु.



- iv. इसके अतिरिक्त उपर्युक्त अधिसूचना तथा दिनांक 21.02.2005 के कार्यालय ज्ञापन में भी नागर विमानन मंत्रालय ने नीचे विस्तृत रूप से दी गई विभिन्न बकाया देयताओं को बट्टे खाते में डालने के लिए निर्देश जारी किए हैं :

क्र.सं.	पार्टी का नाम	देयता का नाम	राशि (₹.)
1.	इंडियन एयरलाइन्स		691563231
2.	एअर इंडिया	ब्याज सहित अरक्षित ऋण	170637210
3.	आई ए ए आई	ब्याज सहित अरक्षित ऋण	77016052
4.	राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण		148660130
5.	नागर विमानन मंत्रालय	ब्याज सहित अरक्षित ऋण	159668187
6.	आई ए टी टी		31043247
कुल			1278588057

- v. अनुसूची-5 स्थिर परिसंपत्तियां :

- क. इसमें पूर्व-प्रचालित एगो एविएशन डिवीजन से नाममात्र की 1/- रूपए की वैल्यू के आधार पर हस्तांतरित परिसंपत्तियां शामिल हैं। इन स्थिर परिसंपत्तियों की 1/- रूपए की वैल्यू उचित वैल्यू नहीं है तथा यह इस्टीमेटेड ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित लेखा मानक-10 के अनुरूप नहीं है (लेखा मानक 10 का अनुपालन नहीं)। उचित बाजार वैल्यू विवरण के अभाव में इसका प्रभाव निश्चित नहीं किया जा सका है।
- ख. टिप्पणी संख्या 5 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो नैसिल द्वारा विमानों के रजिस्ट्रेशन, प्रचालन अनुरक्षण उप एवं विक्रय के संबंध में तथा कंपनी द्वारा इन विमानों, विमान के इंजनों के विक्रय पर हुए लाभ/हानि की नॉन एकाउंटिंग के संबंध में है।

- vi. अनुसूची 6 : 1179950/-रूपए (पिछले वर्ष 1179950/-रूपए) के ऋण एवं अग्रिम

- क. कंपनी द्वारा ऋण तथा अग्रिम के रूप में 1179950/-रूपए (पिछले वर्ष 1179950/-रूपए) की राशि ठीक मानी गई है। पार्टियों से किसी भी तरह की पुष्टि के अभाव में इन ऋणों तथा अग्रिमों के वर्गीकरण एवं सही होने संबंधी टिप्पणी करना संभव नहीं है। (अनुसूची - 6ख)
- ख. अनुसूची 10 में वर्णित संख्या 8 : विभिन्न पार्टियों के डेबिट/क्रेडिट में बकाया बेलेंस का समायोजन/पुष्टि न होने के कारण इसकी तथ्यात्मकता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। (अनुसूची-6 क व 7)

- vii. इंडियन एयरलाइन्स लि. (वर्तमान में नैसिल) के साथ कंपनी का प्रस्तावित विलय :

नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 25 मई, 1993 को जारी पत्र संख्या 18013/44/92-ए.सी.वी.एल. के अंतर्गत यह निर्णय लिया कि वायुदूत लि. का इंडियन एयरलाइन्स के साथ विलय किया जाना चाहिए। इस पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में एअर इंडिया लि. की समस्त शेयरधारिता कुल 18.21 करोड़ रूपए इंडियन एयरलाइन्स लि. में हस्तांतरित कर दी गई जिससे यह इंडियन एयरलाइन्स लि. के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी बन गई है।

वायुदूत लि. की देयताओं तथा सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/बैंकों को देय राशि पर 5 वर्ष की रोक लगा दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 3 जून, 1999 की अधिसूचना संख्या ए.वी. 18030/3/97-ए.सी.आई.ए. के अंतर्गत इस रोक को 25 मई, 2000 तक आगे दो वर्षों के लिए बढ़ाया गया तथा दिनांक 28 जुलाई, 2006 के पत्र संख्या ए.वी. 18030/3/97-ए.सी.आई.ए. द्वारा इसे 30 सितम्बर, 2006 तक और आगे बढ़ाया गया फिर भी कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज के रूप में देयताओं का लेखों में प्रावधान नहीं किया गया है।

विलय से संबंधित कानूनी औपचारिकताओं के पूर्ण नहीं होने पर कंपनी आज की तारीख तक एक "शैल कंपनी" के रूप में है। अप्रैल, 1997 से कंपनी न तो कोई उड़ान प्रचालन कर रही है और न ही कोई अन्य गतिविधि कर रही है। अतः कंपनी द्वारा कार्य संचालन नहीं किया जा



रहा है। विलय से संबंधित सरकार के आदेश के अनुसार, कंपनी की परिसंपत्तियां तथा देयताएं बुक वैल्यू के अनुसार दर्शाई गई हैं तथा कोई समायोजन नहीं किया गया है। परिसंपत्तियों की प्राप्त योग्य वैल्यू को न गिना गया है और न ही इसे निश्चित किया गया है। इस संबंध में खुलासा अनुसूची 10 के टिप्पणी संख्या 2 (iii) में किया गया है।

उपर्युक्त तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाते में, जिनमें टिप्पणियाँ (अनुसूची-10) सम्मिलित हैं कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अपेक्षित सूचनाओं को तदनुसार उपलब्ध कराया गया है तथा उपर्युक्त पैरा च (i) से च (vii) तक दी गई हमारी टिप्पणियों के अनुसार यह सूचनाएं सही एवं उचित जानकारी प्रदान करती हैं :

- i. तुलन पत्र के संबंध में 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्य की स्थिति।
- ii. लाभ-हानि खाते के संबंध में इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की हानि।

कृते एवी के. एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट

हस्ता./-
कमल गर्ग
भागीदार

सदस्यता सं. 091238

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अक्टूबर 2010



लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुलग्नक

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैरा 1 में उल्लिखित

1. क) कंपनी द्वारा रिकार्ड रखा जाता है जिसमें स्थिर परिसंपत्तियों का मात्रापरक विवरण तथा स्थिति का पूर्ण ब्योरा दर्शाया जाता है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 तथा 350 की अपेक्षाओं के अनुसार स्थिर परिसंपत्तियों का रजिस्टर नहीं बनाया गया है चूंकि उसमें अधिशेष, मात्रा, स्थान, मूल लागत, मूल्यह्रास का विवरण नहीं दिया गया है। तथापि इसमें विमानों, विमानों के इंजन तथा वाहनों के स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर शामिल नहीं हैं जिसमें उक्त विवरण उपलब्ध है।
ख) कंपनी की अपनी स्थिर परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए कंपनी के पास अपनी कोई नीति नहीं है। स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर में संबंधित रिकार्ड उपलब्ध न होने से हम विमानों तथा इंजनों को छोड़कर दिनांक 31.03.2010 तक की स्थिर परिसंपत्तियों की अनुसूची में दी गई मदों के अनुसार स्थिर परिसंपत्तियों की उपलब्धता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। वर्ष के दौरान अन्य स्थिर परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। तथापि, उपयुक्त स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर के न होने से विसंगतियों, यदि कोई है, तो उनका पता नहीं लग सका। इनमें से अधिकांश परिसंपत्तियों का उपयोग मैसर्स इंडियन एयरलाइन्स लि. (वर्तमान में नैसिल) द्वारा किया गया।
ग) वर्ष के दौरान किसी भी स्थिर परिसंपत्ति का निपटान नहीं किया गया जो कंपनी के सक्रिय अस्तित्व को प्रभावित कर सके। इस संबंध में कृपया हमारी मुख्य रिपोर्ट के पैरा 2(घ) (vii) की टिप्पणी को देखें जहाँ हमने बताया है कि कंपनी अब सक्रिय स्थिति में नहीं है।
2. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, भंडार का पूरा स्टॉक एवं अतिरिक्त क्लपुर्जे इंडियन एयरलाइन्स लि0 (वर्तमान में नैसिल) के पास है तथा प्रत्यक्ष सत्यापन भी (यदि कोई हो) उनके द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में कंपनी के पास कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। लेखा पुस्तिका से अप्रचलन के लिए पहले ही 100% प्रावधान किया गया है।
3. क) कंपनी ने किसी भी कंपनी फर्म या अन्य पार्टी को किसी भी तरह का रक्षित या अरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध करना अपेक्षित हो। तुलन पत्र की अनुसूची 4 के अनुसार, कंपनी ने चार पार्टियों से कुल मिलाकर 53.74 करोड़ रूपए का अरक्षित ऋण लिया है।
ख) कंपनी द्वारा लिए गए जमा की ब्याज दर तथा अन्य शर्तों एवं निबंधनों के संबंध में लेखा टिप्पणी की अनुसूची सं. 10 भाग-ख के नोट सं. 1 तथा मुख्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 2(घ) में हमारी टिप्पणियों पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
ग) कंपनी केवल एक नाममात्र (शैल) की कंपनी है जिसका इंडियन एयरलाइन्स लि. (वर्तमान में नैसिल) के साथ कानूनी विलय होना है। विलय की शर्तों के अनुसार सभी देयताएं इंडियन एयरलाइन्स लि. द्वारा पूरी की जाएंगी।
4. कंपनी कोई व्यवसाय नहीं कर रही है तथा नैसिल द्वारा विमान तथा इंजनों के विक्रय को छोड़कर भंडार एवं स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद और वस्तुओं की बिक्री के लिए कोई भी लेन-देन नहीं किया गया है वर्ष के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया संबंधी पैरा का प्रावधान लागू नहीं होता है। क्योंकि परिसंपत्तियों को नैसिल में बुक मूल्य पर अंतरित कर दिया गया था तथा तत्पश्चात इसे नैसिल द्वारा बेचत दिया गया।
5. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वस्तुओं और सामग्री की खरीद तथा वस्तुओं, सामग्री या सेवाओं की बिक्री का कोई लेन-देन नहीं किया है जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में प्रविष्टि करना अपेक्षित हो।
6. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की अतः इस पैरा के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
7. कंपनी की कोई आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था नहीं है।
8. केन्द्रीय सरकार ने कंपनी के किसी भी उत्पाद के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के तहत कंपनी द्वारा लागत रिकार्ड रखने की व्यवस्था को निर्धारित नहीं किया है।
9. कंपनी ने दिनांक 01.04.1997 से व्यावसायिक प्रचालन बंद कर दिया है। लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान भी कोई व्यावसायिक प्रचालन नहीं हुआ। तदनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, आय कर, सेवा कर, कस्टम ड्यूटी तथा अन्य लागू महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं के संबंध में वर्ष के लिए लागू निर्विवाद देयताएं नहीं थी। नैसिल द्वारा बेचे गए विमान व विमान इंजन की विक्रय कर देयता नैसिल द्वारा दे दी गई है। (अनुसूची 10 ख का नोट 5 देखें)



- क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, आय कर, बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी, उपकर, सेवा कर के रूप में निर्विवाद राशि देय नहीं थी और न ही दिनांक 31.03.2010 तक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए कोई अन्य लागू महत्वपूर्ण सांविधिक देयताएं बकाया थी।
- ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, आय कर, संपत्ति कर, बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी तथा उपकर, सेवा कर तथा किसी विवाद के कारण जमा न कराए गए अन्य लागू महत्वपूर्ण सांविधिक देय का बकाया नहीं था।
10. कंपनी के 257.90 करोड़ रु. के संचित घाटे कंपनी के नेट वर्थ से कहीं अधिक हैं। कंपनी दिनांक 1.4.1997 से कोई व्यवसाय नहीं कर रही है। कंपनी को लेखा परीक्षा वर्ष तथा इससे तत्काल पहले के वर्ष में भी नकद हानि हुई।
11. कंपनी ने शेयर, डिबेंचर व अन्य सिक्योरिटीज को गिरवी के रूप में धरोहर के आधार पर कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है। अतः इस संबंध में रिकार्ड रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।
12. चिट फंड संबंधी खंड 4 (xiii) का प्रावधान लागू नहीं होता।
13. कंपनी शेयर/सिक्योरिटी एवं डिबेंचर तथा अन्य निवेशों में कोई लेन-देन या व्यापार नहीं कर रही है। तदनुसार खंड 4 (xiv) लागू नहीं होता।
14. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी अन्य द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के लिए गारंटी नहीं दी है।
15. वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी ऋण नहीं लिया। कंपनी ने चूंकि दिनांक 01.04.1997 से अपने व्यवसाय का प्रचालन बंद किया था, अतः उस अवधि से पूर्व लिए गए आवधिक ऋण की उपयोगिता पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।
16. भारत सरकार ने दिनांक 25.05.1993 के अपने आदेश द्वारा इंडियन एयरलाइन्स लि. के साथ कंपनी के विलय का आदेश जारी किया था तथा कंपनी की देयताओं को टाल दिया था। परिसंपत्तियों तथा देयताएं लंबे समय से बकाया हैं। अतः हम निधियों की उपयोगिता पर अपनी टिप्पणी देने की स्थिति में नहीं हैं।
17. कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया।
18. डिबेंचर संबंधी खंड 4 (xix) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
19. पब्लिक इश्यू से उत्पन्न धनराशि के अंतिम उपयोग संबंधी खंड 4 (xx) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
20. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी पर या द्वारा, किसी भी घोखाघड़ी के मामले की सूचना या रिपोर्ट नहीं मिली है।

कृते एवी के. एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट

हस्ता./-

कमल गर्ग

भागीदार

सदस्यता सं. 091238

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अक्टूबर 2010

**दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाते पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर निदेशकों का उत्तर**

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाते पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर निदेशक मंडल ने विचार किया। उक्त रिपोर्ट में दी गई लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर निदेशक मंडल के उत्तर इस प्रकार हैं :-

लेखा परीक्षक की टिप्पणियों से संबंधित पैरा संख्या	प्रबंधन के उत्तर
4 (घ) (i)	यह कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार है जिसका वर्षों से निरंतर पालन किया जा रहा है।
4 (घ) (ii)	कंपनी की परिसंपत्तियों तथा देयताओं को कंपनी के कानूनी प्रावधानों तथा लेखाकरण नीतियों के अनुसार मूल्यह्रास, संदिग्ध ऋण, इत्यादि के लिए आवश्यक प्रावधान करके बुक वैल्यू के अनुसार दर्शाया गया है। कंपनी का उड़ान प्रचालन दिनांक 01 अप्रैल 1997 से बन्द कर दिया गया था तथा यह कोई वाणिज्यिक कार्रवाई नहीं कर रही। अतः परिसंपत्तियों तथा देयताओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा रहा तथा लेखों को ऑन गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया जा रहा है।
4 (घ) (iii) तथा (iv)	नैसिल के साथ कंपनी के विलय की कानूनी औपचारिकताओं के वर्ष 2010-11 तक पूरा हो जाने की संभावना है। कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर नैसिल द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
4 (घ) (v) (क)	यह भारत सरकार के निर्णय के अनुसार है। जब इन परिसंपत्तियों को 1/- रु. के नाममात्र के मूल्य पर हस्तांतरित करने पर विचार किया गया था तब कोई मूल्यांकन उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त एगो एविएशन डिवीजन के विमान/हैलीकॉप्टरों को वर्ष 2002-03 में बेच दिया गया था तथा सरकार के निदेशानुसार समग्र बिक्री से प्राप्त आय के लिए इंडियन एयरलाइन्स द्वारा सरकार को इक्विटी शेयर जारी किए गए थे।
4 (घ) (v) (ख)	कंपनी कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं कर रही है। वायुदूत के विमान नैसिल द्वारा प्रचालित किए जा रहे हैं तथा उसके उड़ान बेड़े के प्रचालनों तथा अनुरक्षण के व्यय को नैसिल द्वारा समाविष्ट किया जा रहा है। नैसिल ने दिनांक 23 अगस्त, 2008 को गठित अपनी 14वीं बैठक में इन लेखों को फेज आउट करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। तदनुसार विमान इंजनों सहित नैसिल को अंतरित कर दिए गए हैं।
4 (घ) (vi) (क)	प्रबंधन का यह विचार है कि दर्शाए गए ऋण तथा अग्रिम सामान्यतः वसूली योग्य होते हैं।
4 (घ) (vi) (ख)	सभी ऋण राशियों की पुष्टि कर दी गई है। तेल कंपनियों के बकायों की भी पुष्टि की गई थी। अन्य आपूर्तिकर्ताओं आदि से भी इस संबंध में पत्राचार किया जा रहा है।
4 (घ) (vii)	प्रबंधन की राय में नैसिल के साथ वायुदूत के विलय की कानूनी औपचारिकताओं के वर्ष 2010-11 में पूर्ण होने की संभावना है।
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के संदर्भित अनुलग्नक में टिप्पणियाँ स्वतः स्पष्ट हैं तथा सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। तथापि, यथापेक्षित हमारी टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं :-	
पैरा (1) (क, ख एवं ग)	प्रत्येक वर्ष, आदेशानुसार, स्थिर परिसंपत्तियों का अलग रजिस्टर बनाया जा रहा है जिसमें पूरा विवरण दिया जाता है। आदेश के पैरा 12(घ) के अनुसार, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक स्थिर परिसंपत्तियों के अथशेष का विवरण मदवार दर्शाया जाए। जहाँ तक प्रत्यक्ष सत्यापन का संबंध है, कुल परिसंपत्तियों का 66% विमान तथा इंजन हैं जो डब्ल्यूडीवी पर नैसिल को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। शेष परिसंपत्तियों के लिए, एक समिति का गठन किया गया है जो परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष स्थिति को निश्चित करेगी। यह कार्य जारी है। तथापि, ये प्वाइंट नोट कर लिए गए हैं।
पैरा (2)	चूंकि उड़ान प्रचालन इंडियन एयरलाइन्स लि. (वर्तमान में नैसिल) के पास अंतरित हो गया है, अतः इसका रिकार्ड इंडियन एयरलाइन्स लि. द्वारा रखा जाता है।
पैरा (7)	विलय निर्णय के परिणामस्वरूप, कंपनी ने अपने उड़ान प्रचालन को बंद कर दिया और कोई भी वाणिज्यिक कार्य नहीं किया। ऐसी केवल कुछ ही प्रविष्टियाँ हैं जो मुख्यालय भेजी गईं। अतः प्रबंधन का विचार है कि आंतरिक लेखा परीक्षा अपेक्षित नहीं है।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./-

विपिन कुमार शर्मा

निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 29 सितंबर 2010



31, मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2010 को		31 मार्च, 2009 को	
निधियों के स्रोत :					
1. शेयर धारकों की निधि :					
क) शेयर पूंजी	1	364,200,000		364,200,000	
ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	35,438,127		35,438,127	
			399,638,127		399,638,127
2. ऋण निधि :					
क) रक्षित ऋण	3	-		-	
ख) अरक्षित ऋण	4	537,404,745	537,404,745	537,404,745	537,404,745
लगाई गई कुल निधि			937,042,872		937,042,872
निधियों की प्रयोज्यता :					
1. स्थिर परिसंपत्तियां :	5				
क) सकल पूंजी		31,945,913		94,471,837	
ख) घटाकर : मूल्यहास		28,096,774		84,264,648	
निवल पूंजी			3,849,139		10,207,189
2. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम :	6				
क) वर्तमान परिसंपत्तियां :					
i) इन्वेंटरीज		-		-	
ii) फुटकर देनदार		15,530,419		15,530,419	
iii) नकद एवं बैंक शेष		-		-	
iv) ऋण एवं अग्रिम		1,179,950		1,179,950	
		16,710,369		16,710,369	
3. चालू देयताएं एवं प्रावधान :	7				
क) चालू देयताएं		1,570,820,318		1,576,755,635	
ख) प्रावधान		92,093,903		92,093,903	
कुल		1,662,914,221		1,668,849,538	
निवल चालू परिसंपत्तियां			(1,646,203,852)		(1,652,139,169)
4. विविध व्यय					
लाभ एवं हानि खाता			2,579,397,585		2,578,974,852
कुल परिसंपत्तियां			937,042,872		937,042,872

हमारी उसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीके एंड एसोसिएट्स
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 फर्म पंजीकरण सं.: 002638एन
 हस्ता/-
 कमल गर्ग
 भागीदार
 सदस्यता सं. 091238

बोर्ड के लिए तथा की ओर से

हस्ता/-
 विपिन के. शर्मा
 निदेशक

हस्ता/-
 एस. चन्द्रशेखर
 निदेशक

हस्ता/-
 ए. के. अग्रवाल
 उप महाप्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक : 29 अक्टूबर 2010



31, मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि खाता

(रुपए में)

विवरण	अनुसूची	2009 - 10	2008 - 09
आय :			
गैर-प्रचालन राजस्व		.	.
कुल राजस्व		.	.
व्यय :			
1. कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ	8	.	116,725
2. कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय	9	44,120	46,444
3. गैर प्रचालन व्यय		.	.
4. मूल्यहास	5	378,613	680,756
5. परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालना		.	.
कुल व्यय		422,733	843,925
पिछले वर्ष के समायोजन से पूर्व लाभ / (हानि)		(422,733)	(843,925)
वर्ष के लिए कर से पूर्व निवल लाभ / (हानि)		(422,733)	(843,925)
कर के लिए प्रावधान		.	.
वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि)		(422,733)	(843,925)
गत वर्ष से अग्रणीत शेष हानि		(2,578,974,852)	(2,578,130,927)
बुलन पत्र में अग्रणीत शेष लाभ / (हानि)		(2,579,397,585)	(2,578,974,852)

हमारी उसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीके एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

बोर्ड के लिए तथा की ओर से

हस्ता/-
कमल गर्ग
भागीदार
सदस्यता सं. 091238हस्ता/-
विपिन के. शर्मा
निदेशकहस्ता/-
एस. चन्द्रशेखर
निदेशकहस्ता/-
ए. के. अग्रवाल
उप महाप्रबंधक (वित्त)स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अक्टूबर 2010

**तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न अनुसूधियां****अनुसूची - 1 : शेयर पूंजी :**

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी 1000/- रु. प्रत्येक की 500000 इक्विटी शेयर पूंजी	500,000,000	500,000,000
जारी अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी 1000/- रु. प्रत्येक की पूर्ण प्रदत्त (नकद) 364200 इक्विटी शेयर	364,200,000	364,200,000
	364,200,000	364,200,000

अनुसूची - 2 : आरक्षित एवं अधिभेष :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
आरक्षित पूंजी	35,438,127	35,438,127
	35,438,127	35,438,127

अनुसूची - 3 : रक्षित ऋण :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
रक्षित ऋण	.	.
	.	.

अनुसूची - 4 : अनारक्षित ऋण एवं अग्रिम :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को		31 मार्च, 2009 को	
क) बैंकों से
ख) अन्य से				
एअर इंडिया	170,637,210		170,637,210	
इंडियन एयरलाइन्स	130,083,296		130,083,296	
आई.ए.ए.आई.	77,016,052		77,016,052	
नागर विमानन मंत्रालय	159,668,187	537,404,745	159,668,187	537,404,745
		537,404,745		537,404,745



अनुसूची - 5 : स्थिर परिसंपत्तियां एवं मूल्यहास :

(राशि रुपए में)

विवरण	सकल पूंजी				मूल्यहास				निवल पूंजी	
	01.04.2009 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	31.03.2010 को	31.03.2009 तक	वर्ष के लिए प्रदत्त	पुनः जोड़े गए	31.03.2010 तक	31.03.2010 को	31.03.2009 तक
विमान	53,794,356	-	53,794,356	-	48,414,919	-	48,414,919	-	-	5,379,437
विमान इंजन	8,731,568	-	8,731,568	-	8,131,568	-	8,131,568	-	-	600,000
उप जोड़	62,525,924	-	62,525,924	-	56,546,487	-	56,546,487	-	-	5,979,437
स्थल सहायता	15,884,674	-	-	15,884,674	15,285,981	16,011	-	15,301,992	582,682	598,693
उप जोड़	15,884,674	-	-	15,884,674	15,285,981	16,011	-	15,301,992	582,682	598,693
फर्नीचर और फिक्सचर	15,080,741	-	-	15,080,741	11,491,203	362,602	-	11,853,805	3,226,936	3,589,538
उप जोड़	15,080,741	-	-	15,080,741	11,491,203	362,602	-	11,853,805	3,226,936	3,589,538
मोटर वाहन	980,498	-	-	980,498	940,977	-	-	940,977	39,521	39,521
कुल परिसंपत्तियां	94,471,837	-	62,525,924	31,945,913	84,264,648	378,613	56,546,487	28,096,774	3,849,139	10,207,189
गत वर्ष	94,471,837	-	-	94,471,837	83,583,892	680,756	-	84,264,648	10,207,189	

अनुसूची - 6 : चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
क. चालू परिसंपत्तियां		
1. भंडार (लागत पर मूल्यांकित)	67,135,452	67,135,452
घटाकर : भंडार के अप्रचलन के लिए प्रावधान	67,135,452	67,135,452
	0	0
2. फुटकर देनदार	0	0
06 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	664,514	664,514
रक्षित खरे माने गए	14,865,905	14,865,905
अरक्षित खरे माने गए	20,895,160	20,895,160
अरक्षित संदेहास्पद माने गए	36,425,579	36,425,579
घटाकर : संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	20,895,160	20,895,160
	15,530,419	15,530,419
3. नकद एवं बैंक शेष	0	0
अनुसूचित बैंक में शेष चालू खाते में	0	0
	0	0
ख. ऋण एवं अग्रिम		
- प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए नकद या अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम	247,978	247,978
अरक्षित खरे माने गए	52,896	52,896
अरक्षित संदेहास्पद माने गए	29,388	29,388
- कर्मचारियों से वसूली योग्य आयकर	902,584	902,584
- खरी मानी गई सुरक्षा जमा	27,100	27,100
- संदेहास्पद मानी गई सुरक्षा जमा	1,259,946	1,259,946
घटाकर : प्रावधान	79,996	79,996
कुल	1,179,950	1,179,950



अनुसूची - 7 : चालू देयताएं एवं प्रावधान :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
क. चालू देयताएं		
1. फुटकर लेनदार	1,532,518,212	1,538,453,529
2. अन्य देयताएं	35,434,603	35,434,603
3. जमानत जमा	1,500,568	1,500,568
4. ग्राहकों को उधार	1,366,935	1,366,935
कुल	1,570,820,318	1,576,755,635
ख. खर्च के लिए प्रावधान		
कुल	92,093,903	92,093,903
	92,093,903	92,093,903

लाभ एवं हानि खाता के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियां

अनुसूची - 8 : कर्मचारियों का पारिश्रमिक व लाभ :

(राशि रुपए में)

विवरण	2009-10	2008-09
1. वेतन एवं मजदूरी	-	116,725
कुल	-	116,725

अनुसूची - 9 : प्रशासनिक व्यय :

(राशि रुपए में)

विवरण	2009-10	2008-09
1. कार्यालयी एवं विविध व्यय	.	1,500
2. लेखा परीक्षकों को भुगतान	44,120	44,944
3. ब्याज	.	.
4. किराया, दर एवं कर	.	.
कुल	44,120	46,444

**अनुसूची - 10 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखों के लिए टिप्पणियां :****क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां****1. लेखांकन का आधार :**

लेखों को परम्परागत लागत के आधार पर तैयार किया गया है।

2. मूल्यहास :

(i) स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, स्ट्रेट लाइन पद्धति से प्रभारित किया गया है। कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 18 अप्रैल 1981 को हुई बैठक में दी गई स्वीकृति के अनुसार, 2 अप्रैल 1987 से पूर्व प्राप्त की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, विभिन्न परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन को ध्यान में रखकर प्रभारित किया गया है। विमान तथा विमान इंजनों के मामले में अनुमानित कार्यजीवन के पश्चात् अवशिष्ट मूल्य लागत का 10% लिया गया है जबकि अन्य स्थिर परिसंपत्तियों के मामले में अवशिष्ट मूल्य लागत का 5% लिया गया है। कंपनी संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के संशोधन के परिणामस्वरूप 2 अप्रैल 1987 के पश्चात् ली गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रभारित किया गया है।

(ii) 2 अप्रैल 1987 से पूर्व ली गई परिसंपत्तियों के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित की गई मूल्यहास दरें इस प्रकार हैं :

परिसंपत्तियों का मूल्यहास	2 अप्रैल 1987 से पूर्व ली गई परिसंपत्तियों के लिए दरें
विमान	7.5%
विमान इंजन	7.5%
मोटर वाहन	19%
स्थल सहायता उपकरण	19%
फर्नीचर एवं उपस्कर	9.5%

(iii) खातों में 1/- रु. के नाममात्र मूल्य पर ली गई एगो एविएशन की परिसंपत्तियों पर कोई मूल्यहास नहीं दिया गया।

(iv) 5000/- रु. तथा इससे कम लागत के संयंत्र तथा मशीनरी जैसी परिसंपत्तियों पर उनकी खरीद के वर्ष ही 100% मूल्यहास दिया गया है।

3. भंडार एवं कल-पुर्जों का मूल्यांकन :

भंडार एवं कल-पुर्जों का मूल्यांकन पहले आवक पहले जावक आधार पर लागत पर किया जाता है। विमान भंडार तथा कलपुर्जों के अप्रचलन के लिए प्रावधान भंडार एवं कलपुर्जों के मूल्य के 100% तक किया गया है।

4. पूर्वावधि व्यय / आय :

10,000/- रु. से अधिक व्यय / आय की व्यक्तिगत मदों के संबंध में पूर्वावधि से संबंधित लेन-देन का, लाभ एवं हानि खाते में "पूर्वावधि समायोजन लेखा" के अंतर्गत लेखा दिया गया है।

5. सामान्य भंडार, उपभोग्य तथा ईंधन :

सामान्य भंडार तथा उपभोग्य को खरीद के समय लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

6. बीमा दावे :

1,00,000/- रु. से अधिक वसूली योग्य दावों का जिनमें बीमा कंपनी से ले-अप रिफंड सम्मिलित है, का प्रोद्भवन आधार पर लेखा दिया गया है।

7. वारंटी दावे तथा वसूली योग्य ब्याज :

विलम्ब से भुगतान पर टिकटिंग एजेंटों तथा अन्य से वसूलीयोग्य ब्याज तथा वारंटी दावों का वास्तविक प्राप्ति के आधार पर लेखा दिया गया है।

**8. संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान :**

संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, कंपनी द्वारा कोर्ट में याचिका दायर करने पर अथवा कालातीत हो चुके ऋणों, जो भी पहले हो, पर किया जाता है।

9. उपदान :

उपदान देयता का कंपनी द्वारा प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इसका लेखा नकद आधार पर किया जाता है। उपदान देयता की राशि निर्धारित नहीं की गई। तथापि, विलय की अधिसूचना के पश्चात् सभी कर्मचारियों को इंडियन एयरलाइन्स लि. / एअर इंडिया लि., अब नैसिल में आमेलित कर लिया गया है और वायुदूत लि. में कार्य के लिए कर्मचारियों की उपदान देयता का वहन संबंधित कंपनी द्वारा किया जा रहा है।

10. आर्थिक सहायता / अनुदान :

आर्थिक सहायता / अनुदान का लेखा प्राप्ति आधार पर किया गया है।

ख. टिप्पणियां :**1. वायुदूत लि. का इंडियन एयरलाइन्स लि. (वर्तमान में नैसिल) के साथ विलय :**

भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 25 मई 1993 के अपने पत्र संख्या एवी. 18013/44/92-एसीवीएल के माध्यम से, कंपनी को इंडियन एयरलाइन्स लि. (आईएएल) के साथ विलय करने के अपने निर्णय की सूचना दी है। सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि :

- एअर इंडिया द्वारा रखे गए कंपनी के इक्विटी शेयरों को नाममात्र की कीमत पर इ.ए.लि. को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों को देय देयताओं की आपूर्ति पर 5 वर्षों की अवधि के लिए विलम्बन किया जाएगा तथा तत्पश्चात् इन देयताओं को इंडियन एयरलाइन्स लि. द्वारा दस वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा। किस्त के भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में, उस समय प्रचलित बैंक ब्याज दर पर ब्याज देय होगा।
- विलय की कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक, कंपनी को इंडियन एयरलाइन्स लि. के एक स्पष्ट पहचानने योग्य अलग प्रभाग के रूप में रखा जाएगा।

भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय के परिणामस्वरूप :

- एअर इंडिया लि. की 18.21 करोड़ रु. की समस्त शेयरहोल्डिंग को 1/- रुपए पर इंडियन एयरलाइन्स लि. को हस्तांतरित कर दिया गया तथा इस प्रकार कंपनी इंडियन एयरलाइन्स लि. के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत इंडियन एयरलाइन्स लि. के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।
- कंपनी के कर्मचारियों को इंडियन एयरलाइन्स लि. तथा एअर इंडिया में आमेलित कर लिया गया।
- 1 अप्रैल, 97 से कंपनी के उड़ान प्रचालन को बंद कर दिया गया और यह किसी प्रकार की व्यावसायिक कार्यवाही नहीं कर रही है। अतः यह कंपनी इंडियन एयरलाइन्स लि. के साथ कानूनी रूप से विलय होने तक एक "शैल कंपनी" के रूप में है। इस समय कंपनी कोई व्यवसाय नहीं कर रही है। कंपनी की परिसंपत्तियां तथा देयताओं को, कंपनी नियम उपबंधों तथा लेखा नीतियों के अनुसार, मूल्यहास, संदिग्ध ऋण इत्यादि के लिए आवश्यक प्रावधान करने के पश्चात् बही मूल्य के अनुसार दर्शाया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, परिसंपत्तियों तथा देयताओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है और लेखों को गोडग कन्सर्न आधार पर तैयार किया जा रहा है।

2. ऋण स्थगन तथा विलय की वर्तमान स्थिति :

- देयताओं / भुगतान पर पाँच वर्षों के प्रारंभिक विलंबन की अवधि में निम्नानुसार दो बार वृद्धि की गई :
 - दिनांक 3 जून, 1999 की अधिसूचना सं. एवी. 18030/3/97 के माध्यम से 24 मई 2000 तक
 - दिनांक 17 जनवरी, 2005 की अधिसूचना सं. एवी. 18030/3/97-एसीआईए (VOL.IV) के माध्यम से 31 मार्च 2005 तक
 - दिनांक 28 जुलाई, 2006 के पत्र सं. एवी. 18030/3/97-आई ए के माध्यम से 30 सितम्बर 2006 तक
- भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 17 जनवरी, 2005 की अधिसूचना सं. एवी. 18030/3/97-एसीआईए (VOL.IV) के माध्यम से इंडियन एयरलाइन्स लि. को अपने ढाँचे के पूर्ण तथा अंतिम निपटान के लिए निम्नलिखित लेनदारों की देयताओं को पूरा करने के लिए सिद्धांत रूप से एक बारगी 138,30,75,560/- रुपए की बजटीय सहायता के अनुमोदन संबंधी सरकार के निर्णय की सूचना दी गई :

क)	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि.	114,70,00,000 रुपए
ख)	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	7,88,28,767 रुपए
ग)	तेल कंपनियां	8,99,92,000 रुपए
घ)	बैंक	4,37,54,793 रुपए
इ)	अन्य	2,35,00,000 रुपए
	कुल	138,30,75,560 रुपए



सरकार ने 138,30,75,560/- रु. की राशि इंडियन एयरलाइन्स लि. को दो चरणों में जारी की है जिसमें से उन्होंने 135,48,55,835/- रु. का भुगतान किया है। इस लेख से संबंधित शेष को इंडियन एयरलाइन्स के लेख में स्थानांतरित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस अधिसूचना तथा भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 21 फरवरी, 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी.18030/3/97-एसीआईए (VOL.IV) के माध्यम से भी इंडियन एयरलाइन्स को सरकार के इस निर्णय की सूचना दी गई कि निम्नलिखित लेनदारों के संबंध में 127,85,88,058/- रु. की राशि की देयताओं को बट्टे खाते में डाल दिया जाए :

क)	इंडियन एयरलाइन्स लि.	69,15,63,232 रुपए
ख)	एअर इंडिया	17,06,37,210 रुपए
ग)	आई ए ए आई	7,70,16,052 रुपए
घ)	राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	14,86,60,130 रुपए
ङ)	नागर विमानन मंत्रालय	15,96,68,187 रुपए
च)	आई ए टी टी	3,10,43,247 रुपए
	कुल	127,85,88,058 रुपए

वायुदूत लि. के इंडियन एयरलाइन्स लि. (अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लि.) में विलय की कानूनी औपचारिकताएं वर्ष 2010-11 में पूरी हो जाने की संभावना है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाने पर, वायुदूत लि. का नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लि. में विलय हो जाएगा तथा नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लि. द्वारा भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचनाओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3. एग्रो एविएशन प्रभाग :

नागर विमानन मंत्रालय के एग्रो एविएशन प्रभाग को भारत सरकार की दिनांक 18 जनवरी, 1988 की अधिसूचना संख्या एवी/18030/112/87 के माध्यम से कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। "जैसा है, जहां है" के आधार पर हस्तांतरित परिसंपत्तियों को 1/- रु. के नाममात्र के भुगतान पर कंपनी के लेखों में सम्मिलित कर लिया गया। इन परिसंपत्तियों के एक बड़े भाग का वर्षों के दौरान निपटान कर दिया गया है।

4. पूंजी आरक्षित (अनुसूची 2) :

3.54 करोड़ रु.की पूंजी आरक्षित, 1988-89 एवं 1989-90 के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के बही मूल्य से अधिक बीमा दावे के कारण आय को दर्शाती है।

5. स्थिर परिसंपत्तियां (अनुसूची 5) :

क) 31 मार्च, 2009 तक 2 विमान प्रचालनात्मक थे, जिनका प्रचालन नैसिल द्वारा किया जा रहा था। यह विमान डीजीसीए मे नैसिल के नाम पर पंजीकृत हैं तथा उनके प्रचालन एवं अनुरक्षण का सारा खर्च नैसिल द्वारा वहन किया जा रहा है। नैसिल बोर्ड ने दिनांक 3 अगस्त, 2008 को हुई अपनी 14वीं बैठक में इन विमानों को फेज आउट करने तथा विमानों के निपटारे के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया। अतः विमानों एवं इंधनों दोनों को डब्ल्यू डी.टी. पर नैसिल में अंतरित कर दिया गया।

ख) चूंकि कानूनी तौर पर कंपनी का नैसिल के साथ विलय होना अभी बाकी है, इसलिए कंपनी की परिसंपत्तियों एवं देयताओं को वायुदूत लि. के लेखों में ही दर्शाया जा रहा है तथा जहाँ भी मूल्यहास लागू है, उसे कंपनी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तथापि, सभी परिसंपत्तियों का नैसिल द्वारा प्रचालन एवं अनुरक्षण किया जा रहा है।

6. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 6) :

क) पूर्व - अधिकारियों से देय राशि 1,76,550/- रुपए
(1,76,550/- रुपए)

ख) अप्रैल, 1997 से किसी भी उड़ान का प्रचालन न किए जाने को देखते हुए, विमान भंडार एवं कलपुर्जा, जिसमें रोटेबल्स सम्मिलित हैं, पर 100% अप्रचालन प्रदान किया गया है।

7. वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान (अनुसूची 7) :

दिनांक 31.3.2009 को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के बीजकों के संबंध में बकाया देयताएं 85.39 लाख रुपए की थी। बुकिंग के मूल लेखांकन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, सभी प्रत्याशित घाटों एवं लेखा न किए गए प्रत्याशित लाभों की जब तक वसूली नहीं की जाती, जैसा की ए एस-11 में दिया गया है 5,55,611.62 रुपए के नोशनल लाभ का लेखा नहीं दिया गया है तथा तदनुसार 31 मार्च, 2010 को प्रचलित विनियम दर पर देयता को अद्यतन नहीं किया गया।

8. अप्रतिभूत ऋण लेखों में प्राप्य और देय बकाया राशि समायोजन एवं पुष्टिकरण के अध्यधीन है।

9. वर्ष के लिए किसी कर-योग्य आय की अनुपस्थिति में तथा घाटे को देखते हुए आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। मूल्यांकन वर्ष 2002-03 तक मूल्यांकन पूरा किया जा चुका है।



10. निदेशक मंडल की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों तथा घाटों एवं अग्रिमों का मूल्य वही दर्शाया गया है जिसकी व्यवसाय के साधारण अनुक्रम में वसूली की जा सके। मूल्यहास तथा सभी ज्ञात देयताओं के प्रावधान उपयुक्त हैं तथा यह युक्तिसंगत रूप से आवश्यक राशि से अधिक नहीं हैं। निम्नलिखित के अलावा अन्य कोई आकस्मिक देयताएं नहीं हैं।

11. प्रति शेयर आय :

प्रति शेयर मूल एवं मिश्रित आय की गणना वर्ष के लिए इक्विटी शेयर धारकों को दिए जाने वाले शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की बड़ी संख्या के साथ विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर आय की गणना निम्नानुसार की गई है :

क) कर पश्चात् लाभ/हानि	(4,22,733)
ख) वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	3,64,200
ग) प्रति शेयर आय	(1.16)

12. आकड़ों को निकटतम रूप के पूर्णांक में बदला गया है।

13. पिछले वर्ष के आकड़ों को उस सीमा तक नया रूप दिया गया है जहां तक, वर्तमान वर्ष के दौरान वर्गीकरण परिवर्तित है। पिछले वर्ष के आकड़े टिप्पणी में ब्रेकेट में दर्शाए गए हैं।

14. आकस्मिक देयताएं :

कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया

	2009-10 (रुपए)	2008-09 (रुपए)
कानूनी दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	59,97,878	59,97,878

15. अतिरिक्त सूचना :

	2009-10	2008-09
लेखा परीक्षकों को भुगतान सांविधिक लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षा शुल्क (सेवा कर सहित)	44,120	44,944
कुल	44,120	44,944

अनुसूची VI के भाग II एवं III के अंतर्गत अपेक्षित सभी अन्य अतिरिक्त सूचना को शून्य / लागू नहीं माना जाए।

अनुसूची 1 से 10 तक संलग्न हस्ताक्षर तुलन पत्र एवं लाभ एवं हानि खाते के भाग हैं।

हमारी उसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कुले एवीके एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

बोर्ड के लिए तथा की ओर से

हस्ता/-
कमल गर्ग
भागीदार
सदस्यता सं. 091238

हस्ता/-
विपिन के. शर्मा
निदेशक

हस्ता/-
एस. चन्द्रशेखर
निदेशक

हस्ता/-
ए. के. अग्रवाल
उप महाप्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अक्टूबर 2010

**वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए तुलन पत्र सार तथा कंपनी की सामान्य व्यावसायिक रूपरेखा :**

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसरण में विवरण

I. पंजीकरण विवरण :

पंजीकरण सं. तुलन पत्र की तारीख	55-112262 मार्च 31, 2010	राज्य कोड	55
-----------------------------------	-----------------------------	-----------	----

II. वर्ष के दौरान अर्जित पूंजी (राशि हजार रुपए में) :

पब्लिक इश्यू	शून्य	राइट इश्यू	शून्य
बोनस इश्यू	शून्य	निजी प्लेसमेंट	शून्य

III. निधि जुटाने एवं नियोजन की स्थिति (राशि हजार रुपए में) :

कुल देयताएं	2,599,957	कुल परिसंपत्तियां	2,599,957
-------------	-----------	-------------------	-----------

निधि के स्रोत :

प्रदत्त पूंजी	3,64,200	आरक्षित एवं अधिशेष	35,438
रक्षित ऋण	शून्य	अरक्षित ऋण	5,37,405

निधि की प्रयोज्यता :

निवल स्थिर परिसंपत्तियां	3,849	निवेश	शून्य
निवल चालू परिसंपत्तियां	(16,46,204)	विविध व्यय	शून्य
संचित लाभ / (हानि)	(25,79,398)		

IV. कंपनी का कार्य निष्पादन (राशि हजार रुपए में)

कुल बिक्री	-	कुल व्यय	423
कर पूर्व लाभ / (हानि)	(423)	लाभांश दर	शून्य
प्रति शेयर आय रुपए में	(1.16)		

V. कंपनी के प्रमुख उत्पादों / सेवाओं के नाम (वित्तीय संवर्ध में)

उत्पाद विवरण	लागू नहीं
--------------	-----------

हमारी उसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीके एंड एसोसिएट्स
वार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स

बोर्ड के लिए तथा की ओर से

हस्ता/-
कमल गर्ग
भागीदार
सदस्यता सं. 091238हस्ता/-
विपिन के. शर्मा
निदेशकहस्ता/-
एस. चन्द्रशेखर
निदेशकहस्ता/-
ए. के. अग्रवाल
उप महाप्रबंधक (वित्त)स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अक्टूबर 2010

